मैसर्स जयस्वाल एन. ई. सी. ओ. लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय आयुक्त, रायपुर

(सिविल अपील सं. 1468/2004)

अगस्त 06, 2015

[ए. के. सिकरी और एन. वी. रमना, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944- नियम 173 जी (1) (ई)-देय राशि उत्पाद शुल्क-विलंबित जमा-ब्याज की मांग-तथ्यों पर, निर्धारिती द्वारा समय पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना-द्वारा आदेश राजस्व प्रत्येक पखवाड़े शुल्क का भुगतान करने के लिए माल का भुगतान करने की सुविधा को निलंबित करता है और निर्धारिती को दो महीने की अवधि के लिए खेप के आधार पर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देता है-इसके बाद, निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क का भुगतान करते समय सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया-अधिकारियों की आपत्ति पर कि निर्धारिती खाते से क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता था, निर्धारिती ने नकद में राशि का भुगतान किया-इसके परिणामस्वरूप विलंबित भुगतान के लिए 24 प्रतिशत ब्याज लगाया गया-दो महीने की उक्त अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट के उपयोग के लिए चुनौती जब शुल्क का भुगतान करने की सुविधा पाक्षिक रूप से यदि अनुज्ञेय हो तो नियम 173 जी के तहत निलंबित कर दिया गया था-न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दो महीने की उक्त अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट से शुल्क का भुगतान अनुज्ञेय नहीं था, इस प्रकार, शुल्क का भुगतान न करना और ब्याज का भुगतान उस तारीख तक किया जाना था जब तक कि शुल्क का भुगतान वास्तव में नकद के माध्यम से नहीं किया गया था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः यहां तक कि जब किश्तों में भुगतान करने के लिए सुविधा वापस ले ली

जाती है, तब भी उत्पाद शुल्क का भुगतान सेनवाट क्रेडिट के माध्यम से किया जा सकता है-इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 न्यायाधिकरण का अवलोकन सही नहीं था कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने शुल्क के उक्त हिस्से का भुगतान बाद में नकद में किया था, उसने इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 जी (1) (ई) के प्रावधानों के तहत सेनवाट क्रेडिट खाते के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं थी। कानून के खिलाफ कोई रोक-टोक नहीं है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने शुल्क के उस हिस्से का भुगतान नकद में करने की राजस्व की मांग को स्वीकार कर लिया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलार्थी को यह रुख अपनाने से रोका गया था कि सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से भुगतान का ऐसा तरीका उस अवधि के दौरान भी जब किश्तों द्वारा शुल्क के भुगतान की सुविधा दो महीने के लिए वापस ले ली गई थी, अनुमेय था। इसने इस ओर से एक विशिष्ट बचाव किया था और इसलिए, न्यायाधिकरण को उक्त नियम के आलोक में मामले की जांच करने की आवश्यकता थी।

1.2 नियम 173 जी (1) अधिकारियों को दो महीने की अवधि के लिए किश्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा को जब्त करने में सक्षम बनाता है, यदि निर्धारिती उसमें निर्दिष्ट प्रकृति की चूक करता है। इस प्रकार, इस नियम का मुख्य उद्देश्य किश्तों में देय राशि के भुगतान की सुविधा को वापस लेना और निर्धारिती से प्रत्येक खेप का भुगतान करने पर उक्त अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना है, अर्थात दैनिक आधार पर। नियम 173 जी के उप-पैरा (बी) में, निर्माता पर एक शुल्क लगाया गया है कि वह ऐसे चालू खाते से डेबिट करके अपने कर्तव्य

दायित्व का निर्वहन करने के उद्देश्य से आयुक्त के पास एक चालू खाता बनाए रखे। इस उप-नियम में यह भी प्रावधान है कि उक्त उप-नियम में उल्लिखित तरीके से सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करके शुल्क का निर्वहन किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां तक भुगतान के तरीके का संबंध है, यह चालू खाते के माध्यम से या सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके हो सकता है। दोनों विधियों की अनुमति है। सेनवैट क्रेडिट के माध्यम से शुल्क के भुगतान का तरीका चालू खाते के माध्यम से भुगतान करने जितना ही अच्छा है. उस अवधि के दौरान भी जब पखवाड़े के आधार पर किश्तों में उत्पाद शुल्क के भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है और दो साल की अवधि के लिए निलंबित रहता है, निर्धारिती के लिए एकमात्र दायित्व प्रत्येक निकासी पर शुल्क का भुगतान करना है, न कि विलंबित आधार पर। साथ ही, जहां तक शुल्क के तरीके का संबंध है, यह या तो चालू खाते या सेनवैट क्रेडिट के माध्यम से हो सकता है

1.3 नियम 173 जी (1) के खंड (ई) में शब्द "इस अवधि के दौरान निर्माता को खंड (बी) में निर्दिष्ट चालू खाते में डेबिट द्वारा प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी"... खंड (ई) में उपयोग की गई इस भाषा के आधार पर, यह निवेदन कि इस अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान का एकमात्र तरीका या तरीका चालू खाते के माध्यम से था, इस तथ्य के साथ कि सेनवाट क्रेडिट के माध्यम से उत्पाद शुल्क का भुगतान भुगतान के एक वैध तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है, के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

1.4 एम. ओ. डी. वी. ए. टी. योजना एक स्व-निहित योजना है, जो इसकी प्रयोज्यता, कुछ निवेशों पर शुल्क क्रेडिट की पात्रता, अंतिम उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले निवेशों के क्रेडिट पर किए जाने वाले समायोजन, निवेशों के उपयोग का तरीका, निर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, चालान में जारी क्रेडिट का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अंत में गलत तरीके से प्राप्त क्रेडिट

की वसूली का प्रावधान और प्रावधानों के उल्लंघन और गलत क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। इस नई योजना की शुरुआत के साथ, निर्धारिती के पास निवेश पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाकर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का विकल्प था, बशर्ते वह ऐसे निवेश का उपयोग करने वाले तैयार उत्पादों का निर्माता हो।

1.5 उच्च न्यायालयों द्वारा यह विचार कि जब किश्तों में भुगतान करने की सुविधा वापस ले ली जाती है, तब भी उत्पाद शुल्क का भुगतान सेनवाट क्रेडिट के माध्यम से किया जा सकता है, न केवल इससे सहमत है, बल्कि यह इंगित करना भी आवश्यक है कि विभाग ने भी उच्च न्यायालयों की उक्त राय को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं दी गई थी और इसके बजाय स्थिति को सुधारने के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 8 को अधिसूचना No.17/05-C.E के माध्यम से उप-नियम 3A जोड़कर संशोधित किया गया है। (एन. टी.) दिनांक 31.03.2005 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2005। यह नियम अब विशेष रूप से प्रदान करता है कि शुल्क का भुगतान करने में चूक के मामले में, निर्धारिती को प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान चालू खाते में डेबिट द्वारा करना होगा न कि सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके। यह उस दृष्टिकोण को भी विश्वास दिलाता है जो असंबद्ध प्रावधान के संबंध में लिया गया है जो प्रासंगिक समय पर लागू था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

थनिक्कुडम भगवती मिल्स लिमिटेड, थनिक्कुडम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कालीकट का निर्णय दिनांकित 26.10.2005 2005 की सी. ई. अपील No.22 में-अनुमोदित।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे बनाम दाई इची करकरिया लिमिटेड 1999 (112) ई. एल. टी. 353 (एस. सी.)-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

1999 (112) ई. एल. टी. 353 (एस. सी.) संदर्भित पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1468/2004

निर्णय और आदेश सं. ए/549/2003 एन.बी.सी. दिनांक 30.09.2003, जो कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने अपील सं. ई/2357/2002 एनबी (सी) में पारित किया, से उत्पन्न।

के साथ

2005 का सिविल अपील संख्या 7386

वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ, विवेक शर्मा, आदित्य भट्टाचार्य, हेमंत बजाज, अम्बरीश पांडे, आनंद के. अपीलार्थी की ओर से।

ए. के. पांडा, रश्मि मल्होत्रा, अरिजीत प्रसाद, बी. कृष्णा प्रसाद, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था-

ए. के. सिकरी, जे.

1. इन अपीलों में शामिल मुद्दा एक संकीर्ण दिशा में है जो कथित रूप से देर से जमा किए गए उत्पाद शुल्क के बकाया पर गणना की गई ब्याज की मांग से संबंधित है। इसमें शामिल अवधि 19.12.2000 और 18.02.2001, यानी दो महीने है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या उत्पाद शुल्क वास्तव में देर से जमा किया गया था और इसलिए

ब्याज लिया जाएगा। यह मुद्दा 2004 की सिविल अपील संख्या 1468 में निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है।

2. अपीलार्थी/निर्धारिती लोहे और लोहे के टुकड़े का निर्माता होता है जिस पर वह उत्पाद शुल्क का भुगतान करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, प्रासंगिक समय पर, खेप के आधार के बजाय हर पखवाड़े शुल्क के भुगतान की अनुमति देते थे। इस तरह पहले पखवाड़े में साफ किए गए माल पर शुल्क उक्त महीने की 20 तारीख तक देय था और दूसरे पखवाड़े के दौरान साफ किए गए माल के लिए शुल्क अगले महीने की 51 मई तक देय था। राजस्व अधिकारियों ने पाया कि अगस्त, अक्टूबर और नवंबर 2000 के महीनों में, अपीलकर्ताओं ने समय पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इसके कारण राजस्व द्वारा हर पखवाड़े शुल्क और ब्याज का भुगतान करने के लिए माल की निकासी की सुविधा को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया। इसके बजाय, अपीलार्थी को दो महीने की अवधि के लिए खेप के आधार पर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, यानी 19.12.2000 से 18.02.2001 तक।

3. उक्त आदेश पारित होने के बाद अपीलार्थी ने खेप के आधार पर शुल्क का भुगतान करना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान अपीलार्थी ने लगभग रु। चालू खाते यानी पी. एल. ए. के माध्यम से नकद में 7 करोड़ रुपये। हालाँकि, अपीलार्थी के सेनवाट खाते में भी क्रेडिट था। रु. की राशि। उपरोक्त अवधि में उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए सेनवाट खाते से 31 लाख (लगभग) का उपयोग किया गया था। अधिकारियों का विचार था कि अपीलार्थी खाते से क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता था। अपीलार्थी को उक्त राशि का नकद भुगतान करने के लिए कहा गया और अपीलार्थी बाध्य हो गया। चूंकि यह भुगतान बाद में/देर से किया गया था, इसलिए आयुक्त (उत्पाद शुल्क) ने कारण दिखाएं नोटिस जारी किया कि विलंबित अवधि के लिए 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, यानी 19.12.2000 से

20.05.2002 तक। अपीलार्थी ने कारण दर्शाओ नोटिस में उपरोक्त कथन का खंडन करते हुए कहा कि सेनवाट खाते के माध्यम से भुगतान भी एक वैध भुगतान था। इस तर्क को आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के लिए 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विलंबित भुगतान के लिए मूल-आदेश दिनांक 13.06.2002 ब्याज लिया गया था। आयुक्त द्वारा दिया गया कारण यह था कि चूंकि अपीलार्थी को किश्तों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सुविधा को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 जी के उप नियम (ई) के तहत दो महीने की अवधि के लिए वापस ले लिया गया था, इसलिए इस अवधि के दौरान अपीलार्थी के लिए सेनवेट खाते का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। आयुक्त के अनुसार, सुविधा की उपरोक्त निकासी का निहितार्थ प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान चालू खाते में डेबिट द्वारा करना था, यानी केवल नकद द्वारा।

4. अपीलार्थी ने सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) के समक्ष अपील दायर करके उपरोक्त आदेश पर हमला किया। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने आयुक्त के आदेश की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि दो महीने की उक्त अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट से शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं थी और इसलिए यह शुल्क का भुगतान न करने के बराबर होगा। नतीजतन, ब्याज को तब तक देय माना जाता था जब तक कि शुल्क का भुगतान वास्तव में नकद के माध्यम से नहीं किया जाता था।

5. सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी को दो महीने की उपरोक्त अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, जब नियम 173 जी के तहत पाक्षिक शुल्क के भुगतान की सुविधा को निलंबित कर दिया गया था। अन्यथा, जब इस अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान खेप के आधार पर किया जाना था, तो इसका

भुगतान केवल नकद में करना भी अनिवार्य था और इस अवधि के दौरान सेनवेट क्रेडिट का उपयोग भी जब्त कर लिया गया था।

6. हमने उपरोक्त मुद्दों पर पक्षों के विद्वान वकील को सुना है जिन्होंने हमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के साथ-साथ नियमों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताया है। अधिनियम की धारा 11ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को शुल्क की वसूली करने की अनुमति देती है जो नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम लगाया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है। यह संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर कर्तव्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कारण बताए जाने का नोटिस देकर किया जा सकता है। इसमें निर्धारित प्रक्रिया को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है। हमारे प्रयोजनों के लिए यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि अधिनियम की धारा 11 एए में यह प्रावधान है कि जहां धारा 11ए के तहत निर्धारित शुल्क के साथ प्रभार्य व्यक्ति इस तरह के निर्धारण की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसे शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जा रही दर 18 प्रतिशत से कम और 36 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

7. नियमों का पहला अध्याय 'शुल्क और वापसी और शुल्क से छूट' से संबंधित है। इसके नियम 9 में शुल्क के भुगतान का समय और तरीका निर्धारित किया गया है और इसका उप-नियम 1 निम्नानुसार हैः

> "नियम 9: शुल्क के भुगतान का समय और रीतिः-(1) किसी भी उत्पाद शुल्क को उस स्थान से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक (उस पर देय उत्पाद शुल्क का निर्धारण और प्रत्येक आवेदन पर

उचित प्रपत्र या प्रत्येक गेट पास में संकेत नहीं किया जाता है, जो इन नियमों में या आयुक्त की आवश्यकता के अनुसार उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।"

8. हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अगला नियम नियम 173 जी है जो पाठ्य रूप से विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका पालन निर्धारिती को नियम 9 के तहत निर्दिष्ट अनुमति के स्थान से या नियम 47 के तहत आयुक्त द्वारा अनुमोदित भंडार कक्ष या अन्य स्थान, भंडारण से उत्पाद शुल्क की मंजूरी के संबंध में अपने कर्तव्य/दायित्व के निर्वहन के उद्देश्य से करना होता है।

9. उस हिस्से को छोड़ते हुए जो हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है, हम नियम के उस हिस्से को पुनः प्रस्तुत करते हैं जो इस मामले से संबंधित है, जो नीचे दिया गया हैः

"नियम 173 जी निर्धारिती द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-(1) (ए) एक निर्माता के अलावा प्रत्येक निर्माता, जो एक वित्तीय वर्ष में मंजूरी के मूल्य के आधार पर एक अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठा रहा है, नियम 9 के तहत निर्दिष्ट स्थान या परिसर से या नियम 47 के तहत आयुक्त द्वारा अनुमोदित भंडार कक्ष या भंडारण के अन्य स्थान से उत्पाद शुल्क की मंजूरी के संबंध में अपने शुल्क दायित्व का निर्वहन करेगा। :

(i) महीने के पहले पखवाड़े के दौरान, उस महीने के बीसवें दिन तक;

(ii) महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान, मार्च महीने के अलावा, अगले महीने के पांचवें दिन तक; और

xxx xxx xxx xxx

b) निर्माता आयुक्त के पास एक चालू खाता बनाए रखेगा और ऐसे चालू खाते से डेबिट करके या सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके अपने शुल्क दायित्व का निर्वहन निम्नलिखित तरीके से करेगाः

(i) निर्माता प्रत्येक खेप के लिए हटाने योग्य उत्पाद शुल्क का आकलन करेगा और ऐसी खेपों का विवरण दर्ज करेगा [देय शुल्क की राशि को प्रतिस्थापित किया गया था, नियम 53 के तहत बनाए गए दैनिक स्टॉक खाते में शब्द और आंकड़े];

(ii) निर्माता नियम 52ए के तहत जारी किए गए प्रत्येक चालान पर देय शुल्क की राशि का संकेत देगा।

(iii) प्रत्येक पखवाड़े के अंत में, निर्माता पखवाड़े के दौरान हटाए गए उत्पाद शुल्क पर देय उत्पाद शुल्क की कुल राशि निर्धारित करेगा और वह चालू खाते में डेबिट प्रविष्टि करके या सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके, जैसा भी मामला हो, कुल देय शुल्क दायित्व का निर्वहन करेगा।

(ग) यह समझा जाएगा कि उत्पाद शुल्क का भुगतान इन नियमों के उद्देश्य के लिए, इस उप-नियम में निर्धारित तरीके से हटाए गए उत्पाद शुल्क पर किया गया है, और ऐसे शुल्क का क्रेडिट, जैसा कि किसी भी नियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है, अनुमेय होगा।

(घ) यदि निर्माता नियत तिथि तक देय शुल्क की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह देय राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय तिथि के बाद पहले दिन से शुरू होने वाली अवधि के

लिए बकाया राशि पर चौबीस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ङ) यदि निर्माता निम्नलिखित कारणों में से किसी के कारण चूक करता है, अर्थात्:

(i) किसी भी एक किस्त का पूरा भुगतान उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के बाद किया जाता है जिस दिन किस्त किसी वित्तीय वर्ष में देय थी, या

(ii) वह नियत तारीख जिस पर किश्तों का पूरा भुगतान किया जाना है, एक वित्तीय वर्ष में तीसरी बार उल्लंघन किया जाता है, चाहे वह लगातार हो या अन्यथा।

तब निर्माता इस संबंध में उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संचार की तारीख से शुरू होने वाले दो महीने की अवधि के लिए इस उप-नियम के तहत किश्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा को जब्त कर लेगा और इस अवधि के दौरान निर्माता को खंड (बी) में निर्दिष्ट चालू खाते में डेबिट द्वारा प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा और ऐसी किसी भी विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा जैसे कि ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के बिना हटा दिया गया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में दिए गए परिणाम और दंड का पालन किया जाएगा।"

10. उप-नियम (1) का खंड (ए) उत्पाद शुल्क के पखवाड़े के भुगतान की अनुमति देता है। खंड (बी) आयुक्त के साथ चालू खाते को बनाए रखने का आदेश देता है और कहता है कि ऐसे चालू खाते से डेबिट करके या सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके

शुल्क का निर्वहन किया जा सकता है। खंड (ग) के अनुसार एक बार शुल्क का भुगतान निर्धारित तरीके से किया जाता है अर्थात उप-नियम (ख) के अनुसार यह उत्पाद शुल्क के भुगतान के दायित्व का निर्वहन करने के बराबर होगा।

नियत तिथि तक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जा सकता है। उप-नियम (ई) उस स्थिति से संबंधित है जहां निर्माता उसमें उल्लिखित कारणों के लिए शुल्क के भुगतान के कारण चूक करता है और ऐसे मामले में अधिकारी दो महीने की अवधि के लिए इन उप-नियम के तहत किश्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा को जब्त कर सकते हैं।

11. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सुविधा को नियम 173 जी (1) (ई) के तहत वापस ले लिया गया था। इस सुविधा को वापस लेने का प्रभाव यह होगा कि अपीलार्थी को उप-नियम (1) के खंड (ए) के अनुसार हर पखवाड़े शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय अपीलार्थी को प्रत्येक खेप के लिए शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था।

12. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रत्येक खेप का भुगतान करने पर शुल्क का भुगतान किया था। शुल्क का पर्याप्त हिस्सा, यानी रु। पीएलए के माध्यम से चालू खाते में 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। हालाँकि, शुल्क के छोटे हिस्से के भुगतान के लिए जो Rs.31 लाख के आसपास था, अपीलार्थी ने सेनवाट क्रेडिट खाते का उपयोग किया। सेनवाट क्रेडिट से यह भुगतान विवाद की जड़ बन गया है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान सेनवेट के माध्यम से शुल्क, जब नियम 173 जी के तहत सुविधा वापस ले ली गई थी, अनुमत नहीं है। बिना किसी आपत्ति के, अपीलार्थी ने शुल्क के इस हिस्से का भुगतान चालू खाते के माध्यम से भी

करके प्रत्यर्थी की मांग का पालन किया। लेकिन यह मई, 2002 में हुआ। प्रत्यर्थी ने अब यह स्थिति ली कि रुपये का सीमा शुल्कः 31 लाख का भुगतान देर से किया गया। चूँकि इसका भुगतान केवल मई, 2002 में किया गया था, इस विलंबित भुगतान पर, अपीलार्थी को 19.12.2000 से 20.05.2002 तक की अवधि से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। न्यायाधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस में मांग की पुष्टि करते हुए आयुक्त द्वारा पारित आदेश-इन-ओरिजिनल दिनांक 13.06.2002 की पुष्टि की गई है। न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया कारण यह है कि अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि किश्तों द्वारा शुल्क के भुगतान की सुविधा को दो महीने के लिए वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि इस अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से शुल्क के एक हिस्से का निर्वहन किया, लेकिन बाद में शुल्क की इस राशि का नकद भुगतान किया और इसलिए, स्वीकार किया कि सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से शुल्क का भुगतान नियमों के नियम 173 जी (1) के उप-नियम (ई) के प्रावधानों के तहत अनुमेय नहीं था। न्यायाधिकरण के अनुसार, चूंकि ये स्वीकृत तथ्य थे, इसलिए देर से भुगतान के लिए निर्धारित ब्याज @24% प्रति वर्ष का विभाग द्वारा सही दावा किया गया था।

13. शुरुआत में, हम यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर हैं कि न्यायाधिकरण यह टिप्पणी करने में सही नहीं था कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने शुल्क के उपरोक्त हिस्से का भुगतान बाद में नकद में किया था, उसने इस कानूनी स्थिति को स्वीकार किया था कि सेनवाट क्रेडिट खाते के माध्यम से शुल्क का भुगतान नियमों के नियम 173 जी (1) (ई) के प्रावधानों के तहत अनुमेय नहीं था। कानूनी प्रावधानों के आलोक में इस तरह की कार्रवाई की अनुमति थी या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। कानून के खिलाफ कोई रोक-टोक नहीं है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने शुल्क के उस हिस्से का भुगतान नकद में करने की राजस्व की मांग को स्वीकार कर

लिया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलार्थी को यह रुख अपनाने से रोका गया था कि सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से भुगतान का ऐसा तरीका उस अवधि के दौरान भी जब किश्तों द्वारा शुल्क के भुगतान की सुविधा दो महीने के लिए वापस ले ली गई थी, अनुमेय था। इसने इस ओर से एक विशिष्ट बचाव किया था और इसलिए, न्यायाधिकरण को उपरोक्त नियम के आलोक में मामले की जांच करने की आवश्यकता थी। हम पहले ही नियम 173 जी के प्रासंगिक हिस्से को निकाल चुके हैं। चूंकि, हम विशेष रूप से इसके उप-नियम (ई) से संबंधित हैं, इसलिए मामले की स्पष्टता और बेहतर समझ के लिए, हम एक बार फिर से उसी को दोहराते हैं।

धारा 173(1)

xxxxx xxxx xxxxx

(ङ) यदि निर्माता निम्नलिखित कारणों में से किसी के कारण चूक करता है, अर्थात्:-

(i) किसी वित्तीय वर्ष में किस्त देय होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के बाद किसी एक किश्त का पूरा भुगतान किया जाता है, या

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार नियत तारीख का उल्लंघन किया जाता है, चाहे वह लगातार हो या अन्यथा,

तो निर्माता इस संबंध में उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संचार की तारीख से शुरू होकर दो महीने की अवधि के लिए इस उप-नियम के तहत किश्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा खो देगा और इस अवधि के दौरान निर्माता को प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

14. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यह खंड अधिकारियों को दो महीने की अवधि के लिए किश्तों में बकाया का भुगतान करने की सुविधा को जब्त करने में सक्षम बनाता है, यदि निर्धारिती उसमें निर्दिष्ट प्रकृति की चूक करता है। इस

प्रकार, इस नियम का मुख्य उद्देश्य किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा को वापस लेना और निर्धारिती से प्रत्येक खेप का भुगतान करने पर उपरोक्त अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना है, यानी दैनिक आधार पर। इस संदर्भ में, सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के शुल्क का भुगतान केवल चालू खाते में डेबिट द्वारा किया जाना चाहिए या इसका भुगतान सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भी किया जा सकता है।

15. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पहली बात जो इंगित की जानी चाहिए, वह है नियमों के नियम 49 और नियम 173 जी के पीछे का उद्देश्य। नियम 49 निर्धारिती को कारखाने परिसर से या हटाने के लिए अनुमोदित स्थान से माल को हटाने पर पखवाड़े के आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाता है, लेकिन इस नियम के लिए निर्धारिती को प्रत्येक खेप को हटाने पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, यानी खेप के आधार पर। नियमों के नियम 9 में यही प्रावधान किया गया है जो यह आदेश देता है कि किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा जहां उनका उत्पादन, उपचार या निर्माण किया जाता है या उससे संबंधित कोई परिसर है, जो इस संबंध में आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वह ऐसे स्थान में या उसके बाहर किसी अन्य वस्तु के उपभोग, निर्यात या निर्माण के लिए हो, जब तक कि उस पर देय उत्पाद शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है और प्रत्येक आवेदन पर उचित रूप में या प्रत्येक गेट पास, जैसा भी मामला हो, उस स्थान पर और उस तरीके से उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो इन नियमों में या आयुक्त की आवश्यकता हो। हालांकि, नियम 49 निर्धारिती को तुरंत शुल्क का भुगतान किए बिना माल को हटाने की सुविधा देता है, लेकिन इसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार उसे पाक्षिक आधार पर भुगतान करने की अनुमति देता है। साथ ही, यह सुविधा निर्माता/निर्धारिती को इस आधार पर दी जाती है कि वह नियम 173 जी में

निर्धारित निर्दिष्ट तिथियों तक हर पखवाड़े ईमानदारी से शुल्क का भुगतान करता है। यदि निर्धारिती द्वारा चूक की जाती है, तो उसके परिणाम भी उक्त नियम में दिए गए हैं। नियम 173 जी (1) के खंड (ई) में उल्लिखित चूक की कुछ निर्दिष्ट प्रकृति के लिए, पाक्षिक आधार पर किश्तों में बकाया का भुगतान करने की इस सुविधा को दो महीने की अवधि के लिए जब्त किया जाना है।

16. उपरोक्त योजना से जो बात नियम 9,49 और 173 जी (1) के संयुक्त पठन से स्पष्ट होती है, वह यह है कि इन नियमों का ध्यान उस तरीके पर केंद्रित है जिसमें शुल्क का भुगतान किया जाना है, अर्थात् दैनिक आधार पर या पाक्षिक आधार पर। शुल्क के भुगतान का तरीका पूरी तरह से अलग है।

17. नियम 173 जी के उप-पैरा (बी) में, निर्माता पर एक शुल्क लगाया गया है कि वह ऐसे चालू खाते से डेबिट करके अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करने के उद्देश्य से आयुक्त के पास एक चालू खाता बनाए रखे। इस उप-नियम में यह भी प्रावधान है कि उक्त उप-नियम में उल्लिखित तरीके से सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करके शुल्क का निर्वहन किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां तक भुगतान के तरीके का संबंध है, यह चालू खाते के माध्यम से या सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके हो सकता है। दोनों विधियों की अनुमति है। सेनवाट क्रेडिट के माध्यम से शुल्क के भुगतान का तरीका चालू खाते के माध्यम से भुगतान करने के समान ही अच्छा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे बनाम दाई लीची करकरिया लिमिटेड के मामले में इस अदालत ने मोडवाट योजना के तहत ऋण को "भुगतान किए गए कर के बराबर" बताया। न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के कारण निर्णय के पैरा 17 और 18 में निहित हैं जिन्हें निम्नानुसार दोहराया जा सकता हैः

"17. इन नियमों से यह स्पष्ट है, जैसा कि हम उन्हें पढ़ते हैं, कि एक निर्माता उत्पाद शुल्क के उत्पादन में अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के लिए क्रेडिट प्राप्त करता है, यह तुरंत आवश्यक घोषणा करता है और इसकी स्वीकृति प्राप्त करता है। यह उसके बाद किसी भी समय उत्पाद शुल्क का भुगतान करते समय क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा ऋण को वापस लेने का प्रावधान हो, सिवाय इसके कि इसे अवैध रूप से या अनियमित रूप से लिया गया है, जिस स्थिति में इसे रद्द कर दिया जाता है या यदि इसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। हम यहाँ वास्तव में उस ऋण के बारे में चिंतित हैं जो वैध रूप से लिया गया है, और इसका लाभ निर्माता को समय पर या अन्यथा किसी भी सीमा के बिना उपलब्ध है जब तक कि निर्माता स्वयं अपने उत्पाद में कच्चे माल का उपयोग नहीं करने का विकल्प नहीं चुनता है। इसलिए श्रेय अक्षम्य है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कच्चे माल और अंतिम उत्पाद का कोई सह-संबंध नहीं है; कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट केवल उस अंतिम उत्पाद पर लिया जा सकता है जो उस विशेष कच्चे माल से निर्मित होता है जिससे क्रेडिट संबंधित है। उत्पाद शुल्क के खिलाफ क्रेडिट उसी दिन निर्मित अंतिम उत्पाद पर लिया जा सकता है जिस दिन यह उपलब्ध हो जाता है।

18. इसलिए, यह है कि आयशर मोटर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [1999 (106) ई. एल. टी. 3] के मामले में इस न्यायालय ने कहा

कि मोडवाट योजना के तहत एक ऋण "भुगतान किए गए कर के बराबर" था।"

18. जब हम उपरोक्त तरीके से सेनवेट क्रेडिट के स्वरूप को समझते हैं, तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अर्थात् उस अवधि के दौरान भी जब पखवाड़े के आधार पर किश्तों में उत्पाद शुल्क के भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है और दो साल की अवधि के लिए निलंबित रहता है, तो निर्धारिती के लिए एकमात्र दायित्व प्रत्येक निकासी पर शुल्क का भुगतान करना है, न कि विलंबित आधार पर। साथ ही, जहां तक शुल्क के तरीके का संबंध है, यह या तो चालू खाते या सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से हो सकता है।

19. हम खंड (ई) में आने वाले इन शब्दों से अवगत हैं कि "इस अवधि के दौरान निर्माता को खंड (बी) में निर्दिष्ट चालू खाते में डेबिट द्वारा प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होगा।" नियम 173 जी (1) के खंड (ई) में उपयोग की गई इस भाषा के आधार पर, राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि इस अवधि के दौरान शुल्क के भुगतान का एकमात्र तरीका या तरीका चालू खाते के माध्यम से था। हालाँकि, इस तर्क से सहमत होना संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में उक्त उप-नियम (ई) में निहित विशिष्ट निषेध के अभाव में इस तथ्य के साथ कि सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से उत्पाद शुल्क के भुगतान को भुगतान के एक वैध तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है। वास्तव में, जैसा कि नीचे देखा जाएगा, विभाग ने स्वयं उपरोक्त प्रावधान के दायरे और उद्देश्य को इसी तरीके से समझा, जैसा कि उस समय मौजूद था।

20. इस संबंध में, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता थी कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून में एमओडीवीएटी योजना नामक एक योजना शुरू

की, जिसे 1986 से नियम 57 ए से 57 (यू) वाले एक अलग अध्याय द्वारा पेश किया गया था। उपरोक्त नियमों द्वारा शुरू की गई एमओडीवीएटी क्रेडिट योजना के अनुसार, कुछ अंतिम उत्पादों के निर्माण, जो सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क हैं, को अंतिम उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी शुल्क को उत्पाद शुल्क में जमा करने की अनुमति है। अनुमत निर्दिष्ट शुल्क के क्रेडिट का उपयोग अंतिम उत्पाद पर स्वीकार्य शुल्क उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए किया जाना है, चाहे वह अधिनियम के तहत हो या किसी अन्य अधिनियम के तहत, जो भी मामला हो, जारी अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन हो जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। नियम 57एफ के अनुसार, जिन निवेशों पर क्रेडिट लिया गया है, उनका उपयोग अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उनके संबंध में किया जा सकता है और निवेश को घरेलू उपभोग के लिए या बांड के तहत निर्यात के लिए हटाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार, घरेलू उपभोग के लिए निवेश के सभी भुगतान ऐसे निवेश के संबंध में ली गई ऋण राशि के बराबर शुल्क के भुगतान पर और नियम 52ए के तहत निर्धारित चालान के कवर के तहत किए जाएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उस ओर से निर्दिष्ट चालान के आवरण के तहत कारखाने के बाहर किसी स्थान पर अंतिम उत्पादों के निर्माता द्वारा आंशिक रूप से संसाधित किए जाने के बाद, अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक किसी भी संचालन को पूरा करने और निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे अपने कारखाने में वापस करने के उद्देश्य से भी निवेश को हटाया जा सकता है। जिन निवेशों पर ऋण लिया गया है, उनका उपयोग अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए किया जा सकता है या घरेलू उपभोग के लिए शुल्क के भुगतान के बाद हटाया जा सकता है। नियम 57-1 गलत तरीके से लिए गए या अनियमित तरीके से उपयोग किए गए ऋण की वसूली का प्रावधान करता है। इसमें उस शुल्क क्रेडिट की वसूली का प्रावधान है जिसका गलत

तरीके से लाभ उठाया गया था और यदि निर्माता ने शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने, तथ्यों को दबाने आदि के कारण क्रेडिट लिया है, तो वह क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व के अलावा, धारा 11एए के तहत समान राशि और ब्याज के बराबर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

21. इस प्रकार, यह योजना एक स्व-निहित योजना है, जो इसकी प्रयोज्यता, कुछ निवेशों पर शुल्क के क्रेडिट की पात्रता, अंतिम उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले निवेशों के क्रेडिट पर किए जाने वाले समायोजन, निवेशों के उपयोग का तरीका, निर्माता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, चालान में जारी क्रेडिट का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और अंत में गलत तरीके से प्राप्त क्रेडिट की वसूली का प्रावधान और प्रावधानों के उल्लंघन और गलत क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है। इस नई योजना की शुरुआत के साथ, निर्धारिती के पास निवेश पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाकर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का विकल्प था, बशर्ते वह ऐसे निवेश का उपयोग करने वाले तैयार उत्पादों का निर्माता हो।

22. यह प्रावधान कम से कम चार उच्च न्यायालयों के समक्ष व्याख्या के लिए आया और इन सभी न्यायालयों ने यह विचार रखा कि जब किश्तों में भुगतान करने की सुविधा वापस ले ली जाती है, तब भी उत्पाद शुल्क का भुगतान सेनवाट क्रेडिट के माध्यम से किया जा सकता है। इन सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा थनिक्कुडम भगवती मिल्स लिमिटेड, थनिक्कुडम बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कालीकट में 2005 की सी. ई. अपील संख्या 22 में दिनांकित निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त है। इस निर्णय में, उच्च न्यायालय ने नियमों

के साथ-साथ मोडवत योजना के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः

> "23. यह सच है कि नियम 173 जी (1) (बी) के अनुसार भी सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके भुगतान इन नियमों द्वारा शुल्क के भुगतान का एक स्वीकृत तरीका है। यह भी उतना ही सच है कि नियम 173 जी (1) (बी) में निहित इस तरह के प्रावधान के अभाव में भी, एक निर्धारिती, नियम 57 ए के साथ पठित नियम 49 के तहत निहित प्रावधानों के आधार पर भी, इस तरह के इनपुट क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती के इस तर्क में बल है कि नियम 173 जी किसी भी इनपुट क्रेडिट का कोई लाभ नहीं देता है और केवल नियम 173 जी के तहत फिर से सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने के लिए निर्धारिती की पात्रता का उल्लेख करके और आगे यह प्रावधान करते हुए कि निर्धारिती को निलंबित अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान करना होगा. केवल चालू खाते से डेबिट द्वारा प्रत्येक खेप के लिए किसी भी तरह से पहले से ही प्रदान किए गए लाभ को अलग से लेने का प्रभाव नहीं होगा। जब तक नियम 49 या नियम 57 ए में कोई संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक किसी निर्धारिती को चूककर्ता बनाने और उसे इनपुट क्रेडिट का उपयोग करने के लाभ से वंचित करने के परिणाम अव्यवहारिक और अप्रभावी हो जाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने ठीक ही कहा है कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने इस कमी पर ध्यान दिया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002-दूसरा संशोधन 2005, जो 1 अप्रैल, 2005 से लागू हुआ, द्वारा केंद्रीय उत्पाद

शुल्क नियम 2002 में संशोधन किया गया और नियम 3ए जोड़ा गया जो इस प्रकार हैः

"यदि निर्धारिती उपनियम (2) में निर्धारित तिथि तक शुल्क का भुगतान करने में चूक करता है और उसे उक्त तिथि से तीस दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए छुट्टी दे दी जाती है, तो निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के संचार की तारीख से शुरू होने वाली दो महीने की अवधि के लिए उप-नियम (1) के तहत मासिक किश्तों में शुल्क का भुगतान करने की सुविधा खो देगा।

24. यह पहली बार है कि एक गैर-मूल खंड जोड़ा गया था ताकि सेनवेट क्रेडिट नियमों के तहत लाभ को छीन लिया जा सके और निलंबित अवधि के संचालन के दौरान इनपुट क्रेडिट का उपयोग किया जा सके और केवल चालू खाते में डेबिट द्वारा किसी भी शुल्क की आवश्यकता हो। तब तक, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल इसलिए कि नियम 173जी सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करके शुल्क के भुगतान को मान्यता देता है और केवल निलंबित अवधि के दौरान खुले और चालू खाते के माध्यम से शुल्क के भुगतान का प्रावधान करने से एक अलग नियम द्वारा प्रदान किए गए लाभ को छीनने का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि नियम 57ए के साथ पठित नियम 49 के आधार पर नियम 173जी के बिना भी निर्धारिती को पहले ही नियमों में दिए गए अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करते समय शुल्क के

भुगतान के लिए इनपुट क्रेडिट का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है।"

23. हम न केवल उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं, बल्कि यह इंगित करना भी आवश्यक है कि विभाग ने भी उच्च न्यायालयों की उपरोक्त राय को स्वीकार कर लिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं दी गई थी और इसके बजाय स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 8 को अधिसूचना No.17/05-C.E के माध्यम से उप-नियम 3A जोड़कर संशोधित किया गया है। (एन. टी.) दिनांक 31.03.2005 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2005। यह नियम अब विशेष रूप से प्रदान करता है कि शुल्क का भुगतान करने में चूक के मामले में, निर्धारिती को प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान चालू खाते में डेबिट द्वारा करना होगा न कि सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करके। यह हमारे दृष्टिकोण को भी विश्वास दिलाता है जो हमने असंबद्ध प्रावधान के संबंध में लिया है जो प्रासंगिक समय पर लागू था।

24. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह होगा कि इन अपीलों की अनुमति दी जाए और सी. ई. एस. टी. ए. टी. के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाए। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

अपीलों को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।